

पत्रांक: 4/सं1-49/2019...../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची-834002

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

कुलसचिव,
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

राँची, दिनांक:-/

विषय:- मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, मधुपुर, देवघर को शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-69, दिनांक-29.05.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, मधुपुर, देवघर को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 04(19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

| क्र० | संकाय/स्तर | विषय | सत्र | अभ्युक्ति |
|------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एवं इन्फॉर्मेशन साइंस | बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एवं इन्फॉर्मेशन साइंस | सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 लिए | अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण |

2. शर्त:-

- यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक- BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक-19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी निदेशालीय पत्रांक-749 दिनांक-13.04.2018 द्वारा निर्गत नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तोंको सदैव पूरा करेगा।
- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
- आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक :- 4/सं1-49/2019 2457

राँची, दिनांक- 08/12/2023/

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, महारो, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।